[2008] 13 एस.सी.आर. 338

वीरू देवगन

बनाम

तमिलनाडु राज्य एवं एक अन्य

2005 की दीवानी अपील सं. 4448

11 सितंबर, 2008

[सी.के. ठक्कर तथा लोकेश्वर सिंह पांटा, न्यायमूर्तिगण]

भारत का संविधान, 1950 — अनुच्छेद 226 — पूर्ण क्षेत्राधिकार — प्रयोग का दायरा —अपीलकर्ता को आरक्षित वन क्षेत्र में फिल्म की शूटिंग करने का अनुज्ञापत्र प्रदान किया गया था — राज्य द्वारा यह आरोप लगाते हुए अनुज्ञापत्र रद्द कर दिया गया कि अपीलकर्ता ने पक्षकारों के मध्य हुए करार की शर्तों एवं नियमों का उल्लंघन किया तथा क्षेत्र की घासभूमियों को क्षति पहुँचाई — अपीलकर्ता द्वारा रिट याचिका दायर की गई — उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता ने पर्यावरण अथवा घासभूमियों को कोई क्षति नहीं पहुँचाई थी तथा अनुज्ञापत्र निरस्तीकरण की कार्रवाई अवैध थी — तथापि, अपने कथित पूर्ण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को पर्यावरण संरक्षण हेतु रु. 50 लाख जमा करने का निर्देश दिया — अपील पर अभिनिर्धारित : पूर्ण शक्तियों का प्रयोग न्यायिक एवं विवेकपूर्ण ढंग से, न्यायालय के समक्ष उपलब्ध तथ्यों तथा सुस्थापित सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए — चूँकि उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष अपीलकर्ता के पक्ष में थे, अतः यह शिकायत कि उच्च न्यायालय ने रु. 50 लाख जमा करने का निर्देश देकर त्रुटि की, न्यायोचित है — अपीलकर्ता उक्त राशि की

वापसी का हकदार है — वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 — वन (संरक्षण) नियम, 1981 — तमिलनाडु वन विभाग संहिता, 1984

अपीलकर्ता फिल्म निर्माण तथा निर्देशन के व्यवसाय में संलग्न है। उसने अपनी फिल्म "राजू चाचा" के एक भाग की शूटिंग नीलगिरि जिले के ऊटी स्थित आरक्षित वन क्षेत्र में करने की अनुमति माँगी। इस संबंध में अपीलकर्ता तथा जिला वन अधिकारी के मध्य एक औपचारिक करार संपादित किया गया, जिसके द्वारा अपीलकर्ता को फिल्म की शूटिंग तथा उसके लिए अस्थायी सेट स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई। तथापि, राज्य द्वारा यह कहते हुए कि अपीलकर्ता ने पक्षकारों के मध्य हुए करार की शर्तों एवं नियमों का उल्लंघन किया तथा वन क्षेत्र की घासभूमियों को क्षति पहुँचाई, उसे प्रदत्त अनुमति/अनुज्ञापत्र बाद में निरस्त कर दिया गया।

अपीलकर्ता ने अनुज्ञापत्र के निरस्तीकरण को चुनौती देते हुए संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह सिद्ध नहीं हुआ कि अपीलकर्ता-अनुज्ञप्तिधारी ने अनुज्ञापत्र की शर्तों एवं नियमों का उल्लंघन किया था। उसने वन प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आधार पर यह निष्कर्ष भी अभिलिखित किया कि अपीलकर्ता ने पर्यावरण अथवा घासभूमि को कोई क्षति नहीं पहुँचाई थी और इसलिए अनुज्ञापत्र निरस्त करने तथा करार समाप्त करने की कार्रवाई अवैध एवं विधि-विरुद्ध थी। तथापि, उच्च न्यायालय ने अपने कथित पूर्ण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए अपीलकर्ता को पर्यावरण संरक्षण हेतु रु. 50 लाख जमा करने का निर्देश दिया। उक्त निर्देश को वर्तमान अपील में चुनौती दी गई।

अपील स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारितः 1.1. उच्च न्यायालय के अनुसार अपीलकर्ता ने न तो घासभूमि को कोई क्षति पहुँचाई थी और न ही ऐसा कोई कार्य किया था जिससे अनुज्ञापत्र निरस्त किया जाना आवश्यक हो; फिर भी उसने रु. 50 लाख जमा करने की अत्यंत भारी शर्त

आरोपित कर दी, *अन्य बातों के साथ साथ* दो आधारों पर, अर्थात् (i) राज्य द्वारा स्थल के उपयोग हेतु नाममात्र का शुल्क निर्धारित किया जाना; तथा (ii) फिल्म का भारी बजट (रु. 10 करोड़)। यदि विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए तथा सभी शर्तों एवं नियमों का अनुपालन करके अपीलकर्ता को फिल्म की शूटिंग की अनुमति प्रदान की गई थी, और करार की शर्तों के अनुसार सभी भुगतान कर दिए गए थे, तथा पर्यावरण, घासभूमि या वन्यजीवों को किसी प्रकार की क्षति होने का कोई निष्कर्ष नहीं था, जैसा कि समाचार-पत्र की प्रतिवेदन में आरोपित किया गया था, और जब उच्च न्यायालय स्वयं प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आधार पर संतुष्ट हो गया तथा उसने अनुज्ञापत्र निरस्तीकरण एवं करार समाप्ति के आदेश को अपास्त कर दिया, तब उच्च न्यायालय अपीलकर्ता को रु. 50 लाख जमा करने का निर्देश नहीं दे सकता था ताकि उस राशि का उपयोग पर्यावरण संरक्षण तथा वनों के संरक्षण के प्रति अधिक जागरूकता उत्पन्न करने हेतु किया जाए। [कंडिका 18, 20] [351-सी, जी, एच; 352-ए-बी]

1.2. इसमें कोई संदेह नहीं कि उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपने पूर्ण क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहा था। तथापि, पूर्ण शक्तियों का प्रयोग भी न्यायिक तथा विवेकपूर्ण ढंग से, न्यायालय के समक्ष उपलब्ध तथ्यों तथा सुस्थापित सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए। चूँकि उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में थे, अतः अपीलकर्ता द्वारा व्यक्त यह शिकायत कि उच्च न्यायालय ने रु. 50 लाख जमा करने का निर्देश देकर त्रुटि की, न्यायोचित है और अपीलकर्ता उक्त राशि की वापसी का हकदार है। [कंडिका 21] [352-सी-डी]

1.3. जैसा कि अपीलकर्ता ने कहा है, उसे उक्त राशि इसलिए जमा करनी पड़ी क्योंकि राशि जमा करने पर ही उसे फिल्म की शूटिंग जारी रखने की अनुमति दी गई थी। इस प्रकार वह ऐसी जमा राशि करने के लिए विवश था। अतः यह उपयुक्त होगा कि यह

न्यायालय उक्त राशि तथा उस पर अर्जित ब्याज सहित अपीलकर्ता को वापस किए जाने का निर्देश दे। [कंडिका 22] [352-डी-ई]

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2005 की दीवानी अपील सं. 4448

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं. 19842/1999 में दिनांक 23.12.1999 को पारित अंतिम निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध।

इंदु मल्होत्रा, शशि एम. कपिला, मनीषा हांडा तथा विकास मेहता, अपीलकर्ता की ओर से।

आर. वेंकटरमणी, वल्लिनायगम तथा वी.जी. प्रगासम, उत्तरदाताओं की ओर से।

न्यायालय का निर्णय

सी.के. ठक्कर, न्यायमूर्ति द्वारा सुनाया गया। 1. वर्तमान अपील अपीलकर्ता द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 23 दिसंबर, 1999 को 1999 की दीवानी रिट याचिका सं. 19842 में पारित निर्णय में दिए गए कुछ निर्देशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि वर्तमान अपीलकर्ता — जो उच्च न्यायालय में रिट याचिकाकर्ता था — ने उसे फिल्म की शूटिंग के लिए प्रदान की गई अनुमति की शर्तों एवं नियमों का उल्लंघन नहीं किया था तथा न ही घासभूमि को क्षति पहुँचाई थी और न ही पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था, फिर भी वह रु. 50 लाख जमा करेगा, जिसका उपयोग उडगमंडलम तथा उसके आसपास पर्यावरण एवं वन संरक्षण और सुधार के लिए किया जाएगा।

2. वर्तमान अपील में अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई शिकायत को समझने हेतु कुछ प्रासंगिक तथ्यों का उल्लेख आवश्यक है।

3. अपीलकर्ता मेसर्स देवगन फिल्म्स का एकमात्र स्वामी है, जो *अन्य बातों के साथ-साथ* वर्ष 1996 से फिल्म निर्माण तथा निर्देशन के कार्य में संलग्न है। अपीलकर्ता ने

बच्चों के लिए "राजू चाचा" शीर्षक से एक संगीतमय फिल्म बनाने की योजना बनाई। प्रारंभ में उसने उक्त फिल्म की शूटिंग कश्मीर के गुलमर्ग क्षेत्र में आरंभ की, किन्तु कारगिल युद्ध के कारण शूटिंग स्थगित करनी पड़ी। तत्पश्चात तमिलनाडु राज्य के ऊटी स्थित स्कूलमुंड (वेनलॉक डाउन्स आरक्षित वन) में शूटिंग स्थल बदलने का निर्णय लिया गया। उक्त प्रयोजन के लिए अपीलकर्ता ने 31 अगस्त, 1999 को तमिलनाडु राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समक्ष नीलगिरि दक्षिण एवं उत्तर प्रभाग में फिल्म के एक भाग की शूटिंग हेतु "अनापत्ति प्रमाणपत्र" जारी करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। उसी दिन प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने 1 अक्टूबर, 1999 से 30 मार्च, 2000 तक 120 दिनों की अवधि के लिए ऐसी अनुमति प्रदान कर दी। अपीलकर्ता ने प्रश्नगत क्षेत्र के उपयोग हेतु सूचना एवं पर्यटन विभाग में 120 दिनों के लिए प्रतिदिन रु. 500 की दर से कुल रु. 60,000 जमा किए। उसने "विविध एवं फोटोग्राफ व्यय" शीर्ष के अंतर्गत रु. 5,000 भी जमा किए। 6 सितंबर, 1999 को सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक ने नीलगिरि जिला, ऊटी में शूटिंग हेतु आवश्यक अनुमति प्रदान कर दी। 5 अक्टूबर, 1999 को अपीलकर्ता ने निर्दिष्ट क्षेत्र में फिल्म की शूटिंग एवं पूर्वनिर्मित सेट स्थापित करने की अनुमति हेतु रु. 2 लाख की वापसी योग्य प्रतिभूति जमा की। इसके तुरंत बाद 7 अक्टूबर, 1999 को अपीलकर्ता द्वारा माँगी गई अनुमति, एक विशेष आकार के सेट स्थापित करने के लिए प्रदान कर दी गई। अपीलकर्ता का कथन है कि तमिलनाडु वन विभाग संहिता, 1984 के अधीन पूर्व वर्षों में नीलगिरि क्षेत्र में 100 से अधिक फिल्मों की शूटिंग हेतु इसी प्रकार की अनुमतियाँ प्रदान की गई थीं। मेसर्स देवगन फिल्म्स के एकमात्र स्वामी तथा नीलगिरि दक्षिण प्रभाग के जिला वन अधिकारी (संक्षेप में "डी.एफ.ओ.") — उत्तरदाता सं. 2, के मध्य एक औपचारिक करार निष्पादित किया गया, जिसके द्वारा अपीलकर्ता को फिल्म की शूटिंग तथा 60 मिमी x 60 मिमी आकार के अस्थायी सेट स्थापित करने की अनुमति दी गई, जो उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन थी। अपीलकर्ता को अस्थायी सेट स्थापित करने

हेतु भूमि किराया के रूप में रु. 10,800 जमा करने का निर्देश दिया गया। उक्त करार की प्रति वर्तमान कार्यवाही में अपीलकर्ता द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

4. ऐसा प्रतीत होता है कि 3 दिसंबर, 1999 को "दिनमलर" (तमिल दैनिक) नामक समाचार-पत्र में एक समाचार प्रकाशित हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ता की गतिविधियों के कारण घासभूमियाँ क्षतिग्रस्त हो रही हैं तथा वन्यजीवन प्रभावित हो रहा है। फलस्वरूप, 6 दिसंबर, 1999 को डी.एफ.ओ. द्वारा अपीलकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यों न उसे प्रदान की गई अनुमति रद्द कर दी जाए, क्योंकि उसने करार की शर्तों का उल्लंघन किया है। अपीलकर्ता को फिल्म की शूटिंग के लिए सेटों के आगे निर्माण को भी स्थगित करने का निर्देश दिया गया। 9 दिसंबर, 1999 को अपीलकर्ता ने राज्य के मुख्य सचिव को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर यह कहा कि उसने पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा है तथा घासभूमियों को कोई क्षति नहीं पहुँची है। साथ ही, अपीलकर्ता के विरुद्ध चल रही कार्यवाही समाप्त करने तथा कंपनी को शूटिंग पूर्ण करने की अनुमति देने की प्रार्थना भी की गई। अपीलकर्ता की शिकायत है कि इस तथ्य के बावजूद कि पर्यावरण को कोई क्षति नहीं हुई थी तथा अपीलकर्ता ने करार की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया था, डी.एफ.ओ. ने अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना 10 दिसंबर, 1999 को यह कहते हुए आदेश पारित कर दिया कि अपीलकर्ता ने पक्षकारों के मध्य हुए करार की शर्तों का उल्लंघन किया है तथा घासभूमियों को क्षति पहुँचाई है, और इसी आधार पर अनुमति रद्द कर दी।

5. अनुमति निरस्त किए जाने के आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने अनुज्ञापत्र के निरस्तीकरण को चुनौती देते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका दायर कर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। दूसरी ओर, तमिलनाडु ग्रीन मूवमेंट नामक एक गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) ने दिनांक 07

अक्टूबर, 1999 के उस आदेश को चुनौती दी, जिसके द्वारा अपीलकर्ता को फिल्म "राजू चाचा" की शूटिंग करने की अनुमति प्रदान की गई थी।

6. दोनों याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की गई। उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय दिनांक 23 दिसंबर, 1999 द्वारा यह धारित किया कि यह सिद्ध नहीं हुआ कि अपीलकर्ता-अनुज्ञप्तिधारी ने अनुज्ञापत्र की शर्तों एवं नियमों का उल्लंघन किया था। उसने वन प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आधार पर यह निष्कर्ष भी अभिलिखित किया कि अपीलकर्ता ने पर्यावरण अथवा घासभूमि को कोई क्षति नहीं पहुँचाई थी। अतः अनुज्ञापत्र निरस्त करने तथा करार समाप्त करने की कार्रवाई अवैध तथा विधि-विरुद्ध थी। तथापि, उच्च न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण हेतु अपीलकर्ता को रु. 50 लाख जमा करने का निर्देश दिया।

7. आदेश के उक्त भाग से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय का निर्णय 23 दिसंबर, 1999 को पारित किया गया था। उसके तुरंत पश्चात क्रिसमस अवकाश प्रारम्भ हो गया। अपीलकर्ता के अनुसार, उन परिस्थितियों में वह न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा जारी निर्देश का पालन करने के लिए विवश था।

8. निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के पश्चात अपीलकर्ता ने 03 अप्रैल, 2000 को विशेष अनुमति याचिका दायर कर इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 24 अप्रैल, 2000 को इस न्यायालय ने नोटिस जारी किया तथा मामले को [*टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ एवं अन्य*], रिट याचिका (दीवानी) सं. 202/1995 के साथ संबद्ध करने का निर्देश दिया। यह उल्लेखनीय है कि *टी.एन. गोदावर्मन* मामले में यह न्यायालय वनों के संरक्षण के व्यापक प्रश्न पर विचार कर रहा है। 23 अप्रैल, 2001 को इस न्यायालय ने आदेश दिया कि रिट याचिकाकर्ता द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय में जमा की गई कोई भी राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा के रूप में निवेश की जाए। विशेष अनुमति याचिका दीर्घ अवधि तक लंबित रही। तथापि, 01 अप्रैल, 2005 को जब मामला

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तब यह देखा गया कि वर्तमान मामला *टी.एन. गोदावर्मन* में उठाए गए व्यापक प्रश्न से संबंधित न होकर एक व्यक्तिगत विवाद से संबंधित है। अतः न्यायालय ने मामले को नियमित पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया। 22 जुलाई, 2005 को अनुमति प्रदान कर दी गई। 25 फरवरी, 2008 को माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि अपील को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान अंतिम सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया जाए। इसी प्रकार यह मामला हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ है।

9. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है।

10. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार तर्क दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा रु. 50 लाख जमा करने का निर्देश पूर्णतः अवैध, विधि-विरुद्ध तथा मनमाना था। एक बार जब उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष अभिलिखित कर दिया कि अपीलकर्ता ने न तो अनुज्ञापत्र की शर्तों का उल्लंघन किया था और न ही पक्षकारों के मध्य संपादित करार का अतिक्रमण किया था तथा न ही घासभूमि को कोई क्षति पहुँचाई थी और न ही पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, तब न्यायालय के पास अपीलकर्ता को किसी भी राशि के भुगतान/जमा का निर्देश देने की कोई शक्ति, प्राधिकार अथवा क्षेत्राधिकार नहीं था। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पक्षकारों द्वारा शपथपत्र दाखिल किए गए थे, अभिलेख तलब किए गए थे तथा पक्षकारों को सुना गया था। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रतिवेदनों में अभिलिखित निष्कर्षों के आधार पर न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला था कि अपीलकर्ता ने करार की शर्तों एवं नियमों के अनुरूप कार्य किया था। क्षति के संबंध में जो भी राशि देय थी, उसका वास्तविक भुगतान अपीलकर्ता द्वारा कर दिया गया था। प्रासंगिक विधियों के अधीन अपराधों का समझौता भी कर दिया गया था तथा आवश्यक राशि का भुगतान कर दिया गया था। ठीक इसी कारण न्यायालय ने अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका स्वीकार की तथा दिनांक 10 दिसंबर, 1999 के आदेश को अपास्त कर दिया।

न्यायालय ने केवल उसी कारण से एन.जी.ओ. द्वारा दायर दूसरी याचिका में भी राहत प्रदान नहीं की, जिसमें अपीलकर्ता को दी गई अनुमति तथा अपीलकर्ता एवं तमिलनाडु राज्य के मध्य संपादित करार को अपास्त करने की प्रार्थना की गई थी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि नियमित भुगतानों के अतिरिक्त, जो भुगतान किया जाना आवश्यक था, अपीलकर्ता द्वारा कुछ अतिरिक्त राशियाँ भी जमा की गई थीं, जिनमें रु. 2 लाख की वापसी योग्य प्रतिभूति राशि भी सम्मिलित थी। राज्य उक्त राशि लौटाने के लिए भी बाध्य था। इन सभी आधारों पर यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता को रु. 50 लाख जमा करने हेतु उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश को अपास्त करते हुए अपील स्वीकार की जानी चाहिए। राज्य रु. 2 लाख की वापसी योग्य प्रतिभूति राशि लौटाने के लिए भी बाध्य है।

11. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष निष्पक्ष रूप से यह स्वीकार किया कि उच्च न्यायालय ने निःसंदेह अपीलकर्ता के पक्ष में निष्कर्ष अभिलिखित किया था। तथापि, उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपने पूर्ण क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहा था। न्यायालय ने उस क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए अपीलकर्ता को रु. 50 लाख जमा करने का निर्देश देना उचित समझा। उक्त राशि का उपयोग जनहित में तथा नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनाने में किया जा सकता है।

12. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात, हमारे विचार में उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश को न तो विधि के अनुरूप कहा जा सकता है और न ही वह न्यायालय के समक्ष उपलब्ध सामग्री अथवा उस सामग्री के आधार पर न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों पर आधारित कहा जा सकता है। हमें उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रासंगिक भाग की ओर ले जाया गया है। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के विरुद्ध की गई शिकायत तथा वन प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर विस्तार से विचार किया। उन

प्रतिवेदनों के आधार पर न्यायालय ने यह निष्कर्ष अभिलिखित किया कि अपीलकर्ता द्वारा राज्य के साथ संपादित करार की शर्तों एवं नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया था और इसलिए राज्य अनुज्ञापत्र निरस्त करने तथा करार समाप्त करने में न्यायोचित नहीं था। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए राज्य द्वारा पारित अनुज्ञापत्र निरस्तीकरण एवं करार समाप्ति के आदेश को रद्द कर दिया।

13. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, वन (संरक्षण) नियम, 1981 तथा तमिलनाडु वन विभाग संहिता, 1984 जैसी प्रासंगिक विधियों का उल्लेख करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा :

> "तथापि, यहाँ वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या 'किसी वन भूमि अथवा उसके किसी भाग को तोड़ना या साफ करना' शब्दावली स्कूलमुंड क्षेत्र में निर्माता द्वारा की गई गतिविधि पर लागू होती है। जिस गतिविधि की अनुमति दी गई है, वह एक अस्थायी सेट स्थापित करने तथा फिल्म की शूटिंग करने की है, और वह सेट लगभग 120 दिनों की अवधि तक भूमि पर बना रहेगा। सेट स्थापित करने में प्रयुक्त तकनीक में सहारे हेतु भूमि की खुदाई सम्मिलित नहीं है। सेट जी.आई. पाइपों के आधार पर टिका हुआ है। जी.आई. पाइप का आधार केवल भूमि पर रखा जाता है, उसे भूमि में गाड़ा नहीं जाता। सेट को कुछ महीनों के भीतर हटा दिया जाना है। ऐसा हटाए जाने पर शीतकाल के पश्चात घास पुनः उग आएगी। वन भूमि को उसकी मूल स्थिति में पुनर्स्थापित किया जाएगा। वन भूमि का कोई भाग नष्ट नहीं होता, जैसा कि उस स्थिति में होता जब नींव खोदकर कोई संरचना निर्मित की जाती। लगभग 120 दिनों की अवधि के लिए भूमि का अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग नहीं किया जा सकता। भूमि वृक्ष-विहीन है। निर्विवाद रूप से इस भूमि पर कोई वृक्ष न था और न है तथा कोई वृक्ष काटा भी नहीं गया है। यह भूमि घासभूमि है। यह

मुख्य राजमार्ग के अत्यंत निकट स्थित है। लगभग 450 मीटर की दूरी पर जो वृक्षारोपण हैं, वे मानव निर्मित वृक्षारोपण हैं। लगभग 450 मीटर की दूरी पर एक विद्यालय सहित एक बस्ती भी स्थित है। स्थान के निकट एक वन सड़क भी है, जिसके माध्यम से निर्माता द्वारा उपकरण स्थल तक लाए गए प्रतीत होते हैं।

निर्माता के अनुसार, राज्य सरकार इस क्षेत्र में निरंतर फिल्म शूटिंग की अनुमति देती रही है। निर्माता की ओर से मुख्तारनामा धारक कुमार मंगत द्वारा दाखिल प्रतिशपथपत्र में कहा गया है कि इस क्षेत्र में अनेक फिल्मों की शूटिंग की गई है। उसने कुछ फिल्मों के नाम भी बताए हैं — बेताबी (1997), दीवाना (1992), अल्लान (1995), सड़क (1995), खूबसूरत (1999), हम (1980 के दशक में), जिगर (1992), त्रिदेव, रावणराज आदि। उसने यह भी कहा है कि उसे विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ है कि विभाग द्वारा पूर्व में पद्मालया फिल्म्स, मद्रास को वर्ष 1995 में उडुगई, दक्षिण रेंज स्थित पुरानी मैसूर सड़क पर पैमुण्ड के समीपवर्ती क्षेत्र में 300 फुट × 300 फुट आयाम के सेट स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई थी। राज्य सरकार ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया है कि अतीत में इस क्षेत्र को फिल्म निर्माताओं को शूटिंग स्थल के रूप में उपलब्ध कराया गया था। वस्तुतः तमिलनाडु वन विभाग संहिता विशेष रूप से ऐसी अनुमति प्रदान किए जाने की परिकल्पना करती है तथा यह भी निर्दिष्ट करती है कि अनुमति प्रदान करने के लिए कौन-सा प्राधिकारी सक्षम होगा और मुख्य वन संरक्षक द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली शर्तें एवं प्रतिबंध आरोपित करने की शक्ति उस प्राधिकारी को प्राप्त होगी।”

14. आगे बढ़ते हुए न्यायालय ने कहा :

"'तोड़ना', जिसका उल्लेख स्पष्टीकरण में किया गया है, ऐसी गतिविधि को इंगित करता है जिसमें व्यापक क्षेत्र में अथवा पर्याप्त गहराई तक अथवा दीर्घकालिक उद्देश्य के लिए विस्तृत खुदाई की जाती हो। वन क्षेत्र में कुएँ खोदना, मकानों की नींव बनाना अथवा खेती के उद्देश्य से भूमि जोतना, वन भूमि को तोड़ना माना जा सकता है। ऐसा तोड़ना कुछ स्थायित्व वाला होना चाहिए। वन भूमि पर की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि वन भूमि को तोड़ना नहीं कही जा सकती। कुछ महीनों के लिए किसी अस्थायी सेट के सहारे को वन भूमि पर टिकाना वन भूमि को तोड़ना नहीं है। इसी प्रकार अपेक्षाकृत छोटे व्यास की जल पाइप अथवा प्लास्टिक से आच्छादित विद्युत तारों को थोड़े समय के लिए भूमि की सतह के नीचे बिछाना भी वन भूमि को तोड़ना नहीं माना जा सकता, विशेषकर तब जबकि कुछ महीनों की अवधि समाप्त होने पर वे पाइप और तार हटा दिए जाने हों तथा उस क्षेत्र में पुनः घास उग आने वाली हो।

... ...

अपने आप में किसी आरक्षित वन में फिल्म की शूटिंग को वन (संरक्षण) अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित 'गैर-वन प्रयोजन' नहीं माना जा सकता। प्रकृति का कम-से-कम दृश्यात्मक रूप से आनंद लिया जाना चाहिए और उसे केवल जड़ अवस्था में सुरक्षित रखे जाने की वस्तु नहीं माना जा सकता, जब तक कि लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए कोई अत्यंत विशेष कारण न हो, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो संवेदनशील एवं नाजुक हैं और जिनका वर्तमान स्वरूप में संरक्षण उचित कारणों से आवश्यक माना जाता है। उच्चतम न्यायालय को इस अधिनियम के उपबंधों पर मुख्यतः उन मामलों में विचार करने का अवसर मिला है जहाँ यह दावा किया गया कि खनन गतिविधियों

को जारी रहने दिया जाए, या वृक्षों की कटाई की अनुमति दी जाए, या वन भूमि को पट्टे पर दिया जाए, अथवा वहाँ भवन निर्माण की अनुमति दी जाए। ऐसे सभी मामलों में, जहाँ वनों की कटाई स्पष्ट परिणाम थी, केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति को अनिवार्य माना गया। जी.आई. पाइपों के आधार पर टिके हुए, जो केवल भूमि पर रखे गए हैं और भूमि में गाड़े नहीं गए हैं, अस्थायी सेट की स्थापना से वनों की कटाई का कोई खतरा नहीं है।"

15. प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर विचार करते हुए न्यायालय ने कहा :

"इस मामले में हमारे समक्ष समाहर्ता तथा जिला वन पदाधिकारी के प्रतिवेदन उपलब्ध हैं। समाहर्ता के अनुसार, शीत ऋतु के महीनों में घास स्वाभाविक रूप से सूख जाती है और केवल मई माह में उसका प्राकृतिक पुनर्जनन होता है। जिला वन पदाधिकारी के अनुसार, शीत ऋतु फरवरी में समाप्त हो जाती है। यहाँ निर्माता को दी गई अनुमति केवल उस अवधि तक के लिए है जो मई माह प्रारम्भ होने से बहुत पहले समाप्त हो जाती है, और उसके पश्चात घास स्वाभाविक रूप से पुनः उगने लगेगी। इसके अतिरिक्त, घास को हुई न्यूनतम क्षति की मरम्मत करने का दायित्व निर्माता ने लिया है, जो राज्य के अधिकारियों के अनुसार भी घास का रख-रखाव कर रहा है।

इस मामले के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, जिन्हें हमने अपने आदेश के पूर्ववर्ती भाग में पर्याप्त विस्तार से वर्णित किया है, हम यह धारित करने के लिए प्रेरित नहीं हैं कि इन परिस्थितियों में निर्माता द्वारा स्कूलमुंड क्षेत्र में अस्थायी सेट स्थापित करने अथवा वन क्षेत्र में फिल्म की शूटिंग करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी।

हम किसी भी प्रकार से उस क्षेत्र की वन भूमि के संरक्षण के संबंध में पर्यावरणविदों की वास्तविक चिंता को कम करके नहीं आंकते। सेट स्थापित करने की अनुमति उन मानक शर्तों का भाग नहीं है जिनके अधीन उस क्षेत्र में फिल्मांकन की अनुमति प्रदान की जानी है। अस्थायी सेट द्वारा अधिग्रहित किए जाने वाले क्षेत्र की सीमा, उसका भार आदि का विवरण निर्माता द्वारा प्रारम्भिक आवेदन करते समय न तो प्रधान मुख्य वन संरक्षक को और न ही सूचना निदेशक को बताया गया था। जैसा कि हमने देखा है, वह आवेदन त्रुटिपूर्ण था। केवल तब, जब उसने जिला वन पदाधिकारी से संपर्क किया, तब आवश्यक विवरण उपलब्ध कराए गए। जिला वन पदाधिकारी ने भी करार में सेट स्थापित करने की अनुमति सम्मिलित करने के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुमति और सहमति केवल दूरभाष पर प्राप्त की थी। हम यह नहीं कह सकते कि जिस प्रकार से निर्माता ने इस परिमाण के सेट की स्थापना हेतु अनुमति प्राप्त की, उसमें उसने राज्य के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया। यह भी विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता ने कुछ दूरी पर स्थित जल स्रोत से घास तथा संरचना के आसपास के क्षेत्र में सिंचाई के उद्देश्य से जल लेने के संबंध में कथित अपराधों में समझौता भी किया था। उसने कुछ भागों में घास को हुई क्षति के संबंध में भी एक अपराध का शमन किया था, यद्यपि क्षति की सीमा ज्ञात नहीं है। लगाए गए और वसूल किए गए जुर्माने की राशि को देखते हुए यह क्षति पर्याप्त नहीं रही होगी।

निर्माता के इस आचरण तथा यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कि वन भूमि को कोई क्षति न पहुँचे, हम यह उपयुक्त समझते हैं कि निर्माता के व्यय पर एक आयुक्त नियुक्त किया जाए जो स्कूलमुंड में निर्माता की आगे की सभी गतिविधियों की निगरानी करेगा। आयुक्त अपने

विवेकानुसार ऐसे अन्य व्यक्तियों को भी अपने साथ संबद्ध कर सकता है जिन्हें वह उस क्षेत्र, पारिस्थितिकी अथवा प्रशासन के संबंध में विशेष ज्ञान एवं अनुभव रखने वाला समझे।"

16. तथापि, उच्च न्यायालय ने कंडिका 47 में निम्नलिखित निर्देश दिया :

"47. निर्माता ने इस भूमि का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त किया है, यद्यपि सीमित अवधि के लिए, और ऐसे नाममात्र के शुल्क पर, जो पट्टे में उस वस्तु के वास्तविक मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता जिसका उपयोग उसे करने की अनुमति दी गई है। फिल्म का बजट रु. 10 करोड़ बताया गया है। उसके द्वारा पत्राचार में यह कहा गया है कि सेट की स्थापना पर उसने लगभग रु. 4 करोड़ का व्यय किया है। इसे तथा अन्य प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखते हुए, हम फिल्म के निर्माता को निर्देश देते हैं कि वह आज से एक सप्ताह की अवधि के भीतर इस न्यायालय में रु. 50 लाख (रुपये पचास लाख मात्र) जमा करे। उक्त राशि का उपयोग उडगमंडलम तथा उसके आसपास पर्यावरण और वन के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित गतिविधियों के लिए तथा पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता और उसके लिए अपनाई जाने वाली विधियों के संबंध में अधिक जन-जागरूकता उत्पन्न करने वाले कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा। उक्त राशि का वितरण इस न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्त से प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात इस न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले आगामी निर्देशों के अधीन होगा। आयुक्त उन सभी विशेषज्ञों से परामर्श करेगा जिन्हें वह ऊटी तथा उसके आसपास के वनों और पारिस्थितिकी के संबंध में सुविज्ञ विशेषज्ञ मत देने में सक्षम समझे।"

(बल प्रदान किया गया)

17. कंडिका 51 में न्यायालय ने कहा :

"51. अब पारित किए गए आदेश तथा इस आदेश में हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों और शूटिंग पूर्ण होने तथा क्षेत्र को उसकी मूल स्थिति में पुनर्स्थापित किए जाने तक आयुक्त द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों के अनुपालन के अधीन, हम दिनांक 10.12.1999 के जिला वन पदाधिकारी के उस आदेश को अपास्त करते हैं जिसके द्वारा दिनांक 07.10.1999 का करार निरस्त किया गया था। हम पाते हैं कि उसमें उल्लिखित आधारों पर करार निरस्त करने जैसा कठोर कदम परिस्थितियों में न्यायसंगत नहीं था। सेट की स्थापना के लिए लगभग 125 व्यक्तियों को नियोजित किया जाना उसके आकार को देखते हुए स्वाभाविक था। जिला वन पदाधिकारी ने तब तक उस संख्या में व्यक्तियों को नियोजित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं की, जबकि उसे सेट के आकार तथा नियोजित व्यक्तियों की संख्या का ज्ञान था और उस समय तक रु. 2 करोड़ से अधिक लागत वाला लगभग 95% सेट पूर्ण हो चुका था। इसके अतिरिक्त, करार की प्रासंगिक शर्त में जानबूझकर 'लगभग' शब्द का प्रयोग किया गया था और किसी निर्दिष्ट संख्या से अधिक व्यक्तियों के नियोजन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। समाहर्ता के अनुसार नियोजित व्यक्तियों को रु.150/- प्रतिदिन का भुगतान किया जाता था और किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई थी। घास पर जल का छिड़काव करने के लिए जल का उपयोग तथा घास को हुई सीमांत 'क्षति' का प्रतिकर कर दिया गया था और वे करार के ऐसे गंभीर उल्लंघन नहीं थे जो उसके निरस्तीकरण को उचित ठहराते।"

18. उपर्युक्त टिप्पणियों से स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय के अनुसार अपीलकर्ता ने न तो घासभूमि को कोई क्षति पहुँचाई थी और न ही ऐसा कोई कार्य किया था जिससे अनुज्ञापत्र का निरस्तीकरण उचित ठहराया जा सके; फिर भी उसने रु. 50 लाख जमा करने

की अत्यंत भारी शर्त आरोपित कर दी, *अन्य बातों के साथ साथ,* मुख्यतः निम्नलिखित आधारों पर : (i) स्थल के उपयोग के लिए राज्य द्वारा नाममात्र का शुल्क निर्धारित किया जाना; तथा (ii) फिल्म का भारी बजट (रु. 10 करोड़)।

19. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जिन दोनों आधारों ने उच्च न्यायालय को प्रभावित किया, वे पूर्णतः अप्रासंगिक तथा विवादित प्रश्न से सर्वथा असंबद्ध थे और पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्णय करते समय न्यायालय द्वारा उन्हें ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए था। न्यायालय की संतुष्टि हेतु विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि लगभग समान शर्तों एवं नियमों पर अधिक बजट वाली अनेक फिल्मों के निर्माताओं को भी अनुमति प्रदान की गई थी तथा वर्तमान मामला ऐसा नहीं था जिसमें शुल्क निर्धारण के संबंध में अपीलकर्ता को कोई विशेष रियायत दी गई हो। अतः तथ्यात्मक दृष्टि से भी उच्च न्यायालय सही नहीं था। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही तथा अपीलकर्ता के अनुसार निर्माता को हानि हुई।

20. जैसा भी हो, हमारे विचार में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की विधिक प्रस्तुति उचित आधार वाली है और उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि समुचित प्रक्रिया का पालन करने तथा सभी शर्तों एवं नियमों का अनुपालन करने के पश्चात अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता को फिल्म की शूटिंग की अनुमति प्रदान की गई थी, और करार की शर्तों एवं नियमों के अनुसार सभी भुगतान कर दिए गए थे, तथा पर्यावरण, घासभूमि अथवा समाचार पत्र की प्रतिवेदन में आरोपित वन्यजीवों को हुई किसी क्षति के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं था, और जब उच्च न्यायालय प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आधार पर संतुष्ट होकर अनुज्ञापत्र निरस्तीकरण तथा करार समाप्ति के आदेश को अपास्त कर चुका था, तब हमारे निर्णय में उच्च न्यायालय अपीलकर्ता को रु. 50 लाख जमा करने का निर्देश नहीं दे सकता था ताकि उस राशि का उपयोग पर्यावरण संरक्षण तथा वनों के संरक्षण के प्रति अधिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए किया जाए।

21. निःसंदेह उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपने पूर्ण क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहा था। तथापि, हमारे विचार में पूर्ण क्षेत्राधिकार की शक्तियों का प्रयोग भी न्यायिक एवं विवेकपूर्ण ढंग से, न्यायालय के समक्ष उपलब्ध तथ्यों तथा सुस्थापित सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए। चूँकि उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में थे, इसलिए अपीलकर्ता द्वारा व्यक्त यह शिकायत कि उच्च न्यायालय ने रु. 50 लाख जमा करने का निर्देश देकर त्रुटि की, उचित आधार वाली है और अपीलकर्ता उक्त राशि की वापसी पाने का अधिकारी है।

22. जैसा कि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा, उसे उक्त राशि इसलिए जमा करनी पड़ी क्योंकि उस राशि के जमा किए जाने पर ही अपीलकर्ता को फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई थी। इस प्रकार वह ऐसी जमा राशि करने के लिए विवश था। अतः यह उपयुक्त होगा कि हम उक्त राशि को उस पर अर्जित ब्याज सहित अपीलकर्ता को वापस करने का निर्देश दें। राज्य, अपीलकर्ता द्वारा राज्य के पास वापसी योग्य प्रतिभूति के रूप में जमा किए गए रु. 2 लाख भी वापस करेगा, यद्यपि उस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। ऐसा भुगतान आज से चार माह की अवधि के भीतर किया जाएगा।

23. उपर्युक्त कारणों से अपील स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को रु. 50 लाख जमा करने का जो निर्देश दिया गया था, उसे अपास्त किया जाता है तथा उक्त राशि को उस पर अर्जित ब्याज सहित 1999 की दीवानी रिट याचिका सं. 19842 के अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता को भुगतान किए जाने का आदेश दिया जाता है। राज्य अपीलकर्ता को रु. 2 लाख भी वापस करेगा। तथापि, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता।

बी.बी.बी. अपील स्वीकार की गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।